# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 1/2023** **दायर दिनांकः 24/03/2023**

**उनवान**

1. रमेश आयु 68 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति मीणा निवासी टापरया बाणगंगा मजरा गांव तहसील अटरू जिला बारां राज०

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत ननावता तहसील अटरू जिला बारा (राज0)।

रेस्पोडेन्टस्

**अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 1412 दिनांक 8/12/2022 तस्दीक दिनांक 8/12/2022 ग्राम पंचायत ननावता**

**उपस्थिति :–**
अपीलांटस :–विद्वान अभिभाषक श्री ब्रजराजसिंह

**निर्णय**

दिनाकः 16/05/2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प ननावता में पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस उपस्थित। रेस्पोडेंट उपस्थित। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील ग्राम पंचायत ननावता के नामान्तरण आदेश 1412 दिनांक 08.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई जिसे न्यायालय द्वारा दर्ज रजि0 किया गया।

2. इस अपील के निस्तारण हेतु सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम गोरेडी जागीर तहसील अटरू मे आराजियात खाता संख्या 278 मे खसरा नंबर 131/1502 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.43 हेक्टेयर, खसरा नंबर 138 रकबा 0.60 हेक्टेयर, खसरा नंबर 139 रकबा 0.37 हेक्टेयर, खसरा नंबर 140 रकबा 0.32 हेक्टेयर कुल किता 5 रकबा 2.12 हेक्टयर स्थित हैं जिसमे अपीलान्ट एंव उसकी बहिने कुन्तीबाई एंव सुशीलाबाई का 1/10– 1/10 हिस्सा दर्ज है किन्तु खातेदारा कुन्तीबाई एंव सुशीलाबाई ने अपने जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई

अपीलांट रमेश के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 16.11.2022 से अपने हिस्से की 1/10, 1/10 हिस्सा त्याग कर दिया है जो रजिस्ट्रीकरण संख्या 202203332101249 दिनांक 16. 11.2022 से दर्ज हो चुकी है। अपीलान्ट ने उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत ननावता को आवेदन प्रस्तुत कर आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया किन्तु दिनांक 8.12.2022 को इस टिप्पणी के साथ कि दोनो पक्ष अनुपस्थित होने के कारण नामान्तरकरण खारिज किया जाता है निरस्त कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। कुन्तीबाई एंव सुशीलाबाई उक्त खाते में दर्ज आराजी की 1/10 –1/10 हिस्से की स्वतंत्र खातेदारा थी जिन्होने अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से का हक तर्क नामा अपने भाई अपीलांट रमेश के पक्ष मे निष्पादित करवाया था जिसके आधार पर उक्त भूमि का नान्तरकरण अपीलांट के पक्ष मे खुलना चाहिए था जिसे निरस्त कर भारी भूल की है। अपीलान्ट रजिस्टर्ड हक तर्क नामा दिनांक 16.11.2022 के आधार पर कुन्तीबाई एंव सुशीलाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर इन्तकाल खोला जाना चाहिए था जिसका अपीलान्ट कानूनन अधिकारी है। क्योकि अपीलान्ट सुशीलाबाई एंव कुन्तीबाई का सगा भाई है। अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किए जावेगे। न्यायालय श्रीमान को अपील का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त नामान्तरकरण की अपीलांट को जानकारी नही थी। हल्का पटवारी से उक्त नामान्तरकरण हेतु जानकारी की तो पता चला कि उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया है इस पर अपीलांट ने दिनांक 4.1.2023 को नकल हेतु आवेदन किया और 4.1.2023 को नकल इन्तकाल प्राप्त होने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रथक से आवेदन पेश है। अपील उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि इन्तकाल नंबर 1412 दिनांक 8.12.2022 तस्दीक दिनांक 08.12.2022 ग्राम पंचायत ननावता को निरस्त कर अपीलान्ट रमेश के पक्ष में उक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज किया जावे एंव खातेदारान कुन्तीबाई एंव सुशीलाबाई का नाम हटाया जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो अपीलान्ट को प्रदान की जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब अपील पेश नहीं करने के कारण मुताबिक आदेशिका दिनांक 16.05.2023 कैम्प कोर्ट ननावता में जवाब अपील बन्द की गई।

4. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/नोनअपीलांट ग्राम पंचायत ननावता द्वारा रजि0 हकत्याग दिनांक 16.11.2022 के आधार पर इंतकाल तस्दीक न करके इस आशय की टिप्पणी के साथ ''**कि दोनों पक्ष उपस्थित नहीं है**'', बिना मैरिट के नामान्तरण खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई।

5. अपीलांटस द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम गोरडी जागीर के नामान्तरण संख्या 1412 दिनांक 20.12.2022 की सत्य प्रतिलिपी, रजि0 हकत्यागनामा दिनांक 16.11.2022 की प्रति एवं हकत्यागकर्ताओं का लिखित जवाब दिनांक 16.05.2023 पेश किये गये।

6. अभिभाषक अपीलान्ट एवं ग्राम पंचायत ननावता की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोरेडी जागीर तहसील अटरू मे आराजियात खाता संख्या 278 कुल किता 5 रकबा 2.12 हेक्टयर में सहखातेदार कुन्तीबाई एंव सुशीलाबाई द्वारा अपने दर्ज हिस्से 1/10– 1/10 का जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई अपीलांट रमेश के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 16.11.2022 से हकत्याग कर किया है। अपीलान्ट ने उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत ननावता को आवेदन प्रस्तुत कर आराजी पर पंजिकृत हकत्याग पत्र के आधार पर इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया किन्तु रेस्पोडेट/ग्राम पंचायत ननावता द्वारा बिना किसी मेरिट के केवल इस टिप्पणी के साथ ''कि दोनो पक्ष अनुपस्थित होने के कारण'' नामान्तरण संख्या 1412 दिनांक 20.12.2022 खारिज कर दिया गया जबकि रेस्पोडेट ग्राम पंचायत को रजि0 दस्तावेज के आधार पर इंतकाल खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत को रजि0 हकत्याग पत्र में कोई कानूनी संदेह था तो नामान्तरण खारिज करने के बजाया धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन तहसीलदार अटरू को स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था। लेकिन ग्राम पंचायत ननावता के सरपंच द्वारा अपीलार्थी से व्यक्ति व चुनावी दुश्मनी रखते हुऐ बिना मेरिट के जानबूझकर इंतकाल खारिज किया गया।

7. अभिभाषक अपीलांट द्वारा यह भी तर्क किया गया कि दिनांक 20.12.2022 को कानूनी रूप से ग्राम पंचायत ननावता में कोरम की बैठक का न तो कोई आयोजन हुआ और न ही कोई कोरम सदस्य उपस्थित हुआ। ग्राम पंचायत ननावता के द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के

प्रावधानों के अनुसार न ही 20.12.2022 की कोरम बैठक की 7 दिवस पूर्व वार्ड पंच व अन्य सदस्यों को लिखित सूचना दी गई। सरपंच ग्ग्रम पंचायत ननावता द्वारा सभी कोरमों का आयोजन पंचायती राज अधिनियमों के विरूद्ध अपने घर नयागांव किया जाता है और बैक डेट में कुछेक कोरम सदस्यों को बुलाकर हस्ताक्षर करा लिये जाते है। अतः दिनांक 20.12.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना कोरम की बैठक बुलाये नामान्तरण खारिज किया गया था।

7. ग्राम पंचायत ननावता की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2022 को पंचायतीराज नियमों के अनुसार ही कोरम बैठक का आयोजन किया था और कोरम द्वारा, बिना मेरिट के, अपीलार्थी व हकत्यागकर्ता के कोरम के समक्ष उपस्थित नहीं होने से नामान्तरण संख्या 1412 खारिज किया गया था। यदि मेरिट के आधार पर न्यायालय इंतकाल खोलना उचित समझती है तो ग्राम पंचायत ननावता को कोई आपत्ति नहीं है।

8. अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पेश रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 16.11.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार व हकत्यागकर्ता कुंतीबाई व सुशीलाबाई द्वारा ग्राम गोरडी की आराजी खाता संख्या 278 कुल किता 5 कुल रकबा 2.12 है0 शामलाती आराजी में अपने हिस्से 1/10–1/10 का अपने भाई व सहखातेदार रमेश के पक्ष में हकत्याग किया गया है। ग्राम गोरडी जागीर की हाल जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी में हकत्यागकर्ता कुंतीबाई व सुशीलाबाई 1/10–1/10 हिस्से की सहखातेदार दर्ज है। दोनो हकत्यागकर्ताओं द्वारा दिनांक 16.05.2023 को कोर्ट केम्प स्थल ननावता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम गोरडी की विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 2.12 है0 में उनके दर्ज हिस्से 1/10–1/10 को उन्होने स्वेच्छा से बिना किसी डर व भय के पूर्ण होश हवाश में अपने भाई व सहखातेदार रमेश के पक्ष में हकत्याग कराया है। पत्रावली पर रेस्पोडेंट द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया जो यह साबित करता हो कि उक्त रजि0 हकत्याग को किसी सक्षम न्यायालय से खारिज किया गया हो। अतः यह तथ्य निर्विवादित है कि पेश रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 16.11.2022 संदेह से परे है। यह एक स्थापित तथ्य है कि पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 39 से 46 के प्रावधानों के अनुसार रजि0 दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करते समय कोरम के समक्ष पक्षकारों का उपस्थित

होना आवश्यक नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा न तो दिनांक 20.12.2022 को आयोजित कोरम की बैठक की नोटिस/सूचना अन्तर्गत नियम 40 पंचायतीराज नियम 1996 का साक्ष्य पेश किया और न ही नियम 44 अन्तर्गत बैठक कार्यवाही के कार्यवृत का दस्तावेज पेश किया है। यदि ग्राम पंचायत को किसी कानूनी बिन्दु के आधार पर इस रजि0 हकत्याग पत्र पर कोई संदेह था तो प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार अटरू के समक्ष स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था लेकिन मेरिट को ध्यान में न रखकर सिर्फ कोरम के समक्ष पक्षकारों की अनुपस्थिति के आधार पर इंतकाल खारिज किया जाना विधि विरूद्ध है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट नामान्तरण आदेश संख्या 1412 दिनांक 20.12.2022 स्वीकार योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं रजि0 हकत्याग दिनांक 16.11.2022 के आधार पर अपीलान्टस की अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। रेस्पोडेंट द्वारा नामान्तरण संख्या 1412 दिनांक 20.12.2022 की कार्यवाही को अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम गोरडी जागीर की आराजी खाता संख्या 278 कुल किता 5 कुल रकबा 2.12 है पर रजि0 हकत्याग पत्र दिनांक 16.11.2022 के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**